सिक्किम विश्वविद्यालय
(स्थापित २००७)

सिक्किम विश्वविद्यालय

वित्त समिति की आई सी एस आर भवन, नई दिल्ली में दिनांक 03.03.2013 रविवार को आयोजित नौवीं बैठक के कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्यगण :

1.	प्रो.टी.बी सुब्बा, उपकुलपति	अध्य
2.	श्री ए के सिंह (विजिटर द्वारा नामित)	सदस्य
3.	डॉ0 रेणु बत्रा (विजिटर द्वारा नामित)	सदस्य
4.	श्री सोनम वांग्डी (विजिटर द्वारा नामित)	सदस्य
5.	श्री अर्जुन स्यांग्देन (ई सी द्वारा नामित)	सदस्य
6.	श्री के एम देब	विशेष आमंत्रित
7.	श्री डी कानुनज्ञ	सचिव

श्री सी तालुकदार, उपरजिस्ट्रार (वित्त) ने समिति की सहायता की ।
श्री एम जे किरण, सदस्य (ई सी द्वारा नामित) अनिवार्य पूर्व व्यस्तता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके ।

बैठक का कोरम पूरा हो जाने के कारण अध्यक्ष द्वारा बैठक को व्यवस्थित घोषित किया गया । संक्षिप्त स्वागत भाषण के पश्चात उन्होंने मदवार विषयसूची को आगे बढ़ाया ।

एफ सी: 9:01	**वित्त समिति की दिनांक 20.04.2012 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

विषयसूची

दिनांक 20.04.2012 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को समिति द्वारा पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवृत्त

अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया गया कि दिनांक 20.04.2012 को आयोजित पूर्ववर्ती बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 21.04.2012 को सदस्यों के बीच परिचालित किया गया तथा सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई । तथापि, उन्होंने पूर्ववर्त्ती बैठक के कतिपय निर्णयों का उन सदस्यों के हितार्थ उल्लेख किया, जो कि पूर्ववर्ती बैठक में उपस्थित नहीं थे । उपस्थित सदस्यों ने कार्यवृत्त का अनुसरण किया तथा इसकी पुष्टि की ।

एफ सी: 9:02	वित्त समिति की दिनांक 20.04.2012 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

विषयसूची

दिनांक 20.04.2012 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट समिति के समक्ष इनके विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई ।

कार्यवृत्त

दिनांक 20.04.2012 को आयोजित बैठक में वित्त समिति के निदेशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई का पैरा-वार विवरण अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया । सदन ने इसे नोट किया

एफ सी: 9:03	दिसम्बर 2012 को समाप्त अवधि हेतु अनुदानों का उपभोग

विषयसूची

यू जी सी के दिनांक 17 अक्टूबर 2012 के पत्रांक एफ 1-1/2012(सी यू) के अनुसार उपभोग प्रमाण पत्र इन्हें प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत किया जाना है तथा इसे वित्त समिति की अगली बैठक में इनके सूचनार्थ एवं विचारार्थ सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है । तदनुसार जून एवं दिसंबर 2012 को समाप्त तिमाही हेतु उपभोग प्रमाण पत्र सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया ।

कार्यवृत्त

यू जी सी को यथारिपोर्टित, विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त उवं उपभुक्त अनुदानों की राशि पर विचार किया गया तथा सदस्यों द्वारा नोट किया गया ।

एफ सी: 9:04	सिक्किम विश्वविद्यालय कैंपस हेतु भूमि का स्थानांतरण

यांग्यांग, दक्षिण सिक्किम स्थित लगभग 300 एकड़ माप का एक भूखंड सिक्किम सरकार द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय को अपने कैंपस निर्माण हेतु स्थानांतरित किए जाने के लिए चिन्हित किया गया था । भूमि अधिग्रहण में देयता का एक अंश केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना तय हुआ था, एवम तदनुसार रू0 15 करोड़ की राशि सिक्किम सरकार को दो खंडो में वर्ष 2008 एवं 2009 (रू0 7.5 करोड़ प्रत्येक) भुगतान किया गया ।

सिक्किम सरकार द्वारा औपचारिक रुप से 265.94 एकड़ माप की भूमि दिनांक 25 जनवरी 2013 को स्थानांतरित किया गया । विश्वविद्यालय हाल में यथाशीघ्र कैंपस निर्माण के प्रक्रियाधीन है । चूंकि विश्वविद्यालय के पास कोई आंतरिक विशेषज्ञ नहीं है, अतः भवन समिति के समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में परियोजना के उचित प्रबंधन हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पी एम सी) को संलग्न किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई । तदनुसार, स्थापित एवं अनुभवी अभिकरणों, जिन्हें इस विशालता की परियोजनाओं को खड़े करने की विशेषज्ञता है, से दिलचस्पी की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित की गई। विश्वविद्यालय द्वारा इस वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वेक्षण, सीमांकन, बाउंड्री कार्य सदृश अन्य खर्चों को भी पूर्वाभाषित किया गया है । संशोधित प्राक्कलन 2013 में इस उद्देश्य से यूजीसी द्वारा वर्ष 2012- 13 हेतु किए गए समग्र आवंटन के अंतर्गत प्रावधान भी मांगा गया है ।
इस बीच यूजीसी मानदंडों के अनुसार भवन समिति के निर्माण को भी अंतिम रुप दिया गया है

कार्यवृत्त

समिति द्वारा गतिविधि को नोट किया गया ।

एफ सी: 9:05	वार्षिक लेखाओं 2011-12 पर एजी (सिक्किम) की एस ए आर

विषयसूची

विश्वविद्यालय के वर्ष 2011 - 2012 हेतु ड्राफ्ट वार्षिक लेखा एवं तुलन पत्र वित्त समिति द्वारा इनके 20.04.2012 को आयोजित पिछली बैठक में अनुमोदित किया गया । तत्पश्चात, इन्हें कार्यकारी परिषद द्वारा 21.04.2012 को अनुमोदित किया गया । इसके बाद इन लेखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पक्ष में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सिक्किम द्वारा की गई थी ।विलगित लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एस ए आरद्व दिनांक 16/10/2012 को जारी की गई । एस ए आर के साथ साथ वार्षिक लेखाओं की प्रति सदस्यों के विचारार्थ संलग्न की गई थी ।

कार्यवृत्त

सदस्यों ने नोट किया की वार्षिक लेखन 2011-12, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षाकृत, एम एच आर डी की देय तारीख के पूर्व संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने के लिए अग्रेषित की गई थी। विश्वविद्यालय को एस ए आर के पैरा IV (जी) में उल्लिखित "प्रबंधन पत्र" की एक प्रति प्राप्त करने तथा इसे सदस्यों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया ।

एफ सी: 9:06	जून 2012 को समाप्त तिमाही हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

विषयसूची

मेसर्स डी पी सेन एवं कंपनी को विश्वविद्यालय के वर्ष 2012-13 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जून 2012 को समाप्त तिमाही हेतु पहली तिमाही रिपोर्ट लेखा परीक्षकों द्वारा 12.10.12 को प्रस्तुत की गई । सितंबर 2012 को समाप्त दूसरी तिमाही हेतु रिपोर्ट जो कि बाद में प्राप्त हुई एवं रिपोर्ट की एक प्रति सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए ।

कार्यवृत्त

सदस्यों ने विभिन्न प्रचालनात्मक क्षेत्रों में लेखा परीक्षकों द्वारा उठाई गई कमियों पर चिंता व्यक्त किया तथा इसके तत्काल संशोधन एवं क्रमिक सुधार करने को कहा। इसने लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित एक समग्र रिपोर्ट अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत करने का आगे निर्देश भी दिया।

एफ सी: 9:07	संशोधित प्राक्कल 2012-13 एवं बजट प्राक्कलन 2013-14

विषयसूची

विश्वविद्यालय का संशोधित प्राक्कल 2012-13 एवं बजट प्राक्कलन 2013-14, यू जी सी एवं एम एच आर डी को यथाअग्रेषित, सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए ।

कार्यवृत्त

सदस्यों ने प्रस्तुत प्राक्कलन पर विचार विमर्श किया तथा पाया की संशोधित प्राक्कलन 2012-13 के अंतर्गत प्रक्षेपित कई शीर्षों के अधीन प्रावधान वर्ष हेतु इष्टतम वांछनीयता पर आधारित नहीं है । अतः समिती ने विश्वविद्यालय को प्राक्कलनों को वास्तविकता के आधार पर संशोधित करने तथा सदस्यों के बीच परिचालित करने का निर्देश दिया ।

एफ सी: 9:08	**उन कर्मचारियों को एक बार प्रोत्साहन, जिन्होंने विश्वविद्यालय के निर्माण काल में संवीदा आधार पर सेवाएं दी है ।**

विषयसूची

सिक्किम विश्वविद्यालय निर्माण काल की चुनौतियों से होकर गुजरा है , जब किन्हीं ढांचागत सुविधाओं के बगैर इसमें कार्य प्रारंभ किया था । कुछेक संविदाजन्य कार्मिकों ने अपने कर्मठता एवं प्रभावकारिता से विश्वविद्यालय को उस स्थिति तक पहुंचाया है जहां यह आज स्थित है । उनमें से कुछ विभिन्न कैडरों में, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों, खुली प्रतियोगिता के माध्यम से नियमित कर्मचारी हो गए हैं तथा उनके वेतन एवं भत्ते अन्य भर्तियों के समान उन्हीं आधारिक स्तर पर नियुक्त किया गया है । इस प्रकार अनिश्चित संविदाजन्य अवधि के दौरान उनकी सेवाओं की पहचान की जा सकी ।

इन कर्मचारियों को उसी कर्मठता एवं उत्सर्ग भाव से अपनी सेवाएं देने में प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि उन्हें एक वेतनवृद्धि के समान राशि का एक बार के लिए प्रोत्साहन अनुदान दिया जाए , जिसका कोई संचयिता प्रभाव नहीं होगा तथा एकमुश्त राशि का भुगतान प्रत्येक को किया जाएगा । इस पर पूर्ण खर्च का आकलन रू0 1,61,400/- के रूप में किया गया है ।

कार्यवृत्त

प्रस्ताव पर विधिवत विमर्श के पश्चात समिति ने तय पाया कि इस प्रकार के प्रोत्साहन का न तो विधिक आधार है, और ना ही यह संबंधित कर्मचारियों की संविदा के विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत ही व्याप्त है । अतः ऐसे प्रोत्साहन का अनुदान गलत पद्धति को जन्म देगा एवं इसके अनुमोदन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया।

एफ सी: 9:09	**ई सी प्रस्ताव संख्या ई सी:08:13 के तहत सांविधिक कार्यालयों के प्रति यथा अनुप्रयुक्त नियमित संकाय सदस्यों के प्रति पेंशन की अवगणना ।**

विषयसूची

प्रथम कार्यकारी परिषद द्वारा इनके दिनांक 27.12.2010 को आयोजित 8वी बैठक में रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों के प्रति कार्य, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों पर अध्यादेश का अनुमोदन किया गया ।

सेवा की शर्तों में, अन्य के अलावा निम्नलिखित खंड सम्मिलित हैं

पैरा 3(जी) को निम्नानुसार पढ़ें *"सिक्किम में व्याप्त विशेष भौतिक एवं स्थलाकृतिक परिस्थितियों की दृष्टि से यहां तक कि अभ्यर्थियों को किसी अन्य संगठन (सरकारी अथवा अर्ध सरकारी अथवा निजी) से पेंशन प्राप्त होने पर भी, विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें भुगतानयोग्य परिलब्धियों से न तो पेंशन और ना ही पेंशन के समतुल्य ग्रेच्युटी की कटौती की जाएगी । "*

उपरोक्त विशेष खंड की प्रस्तावना दीर्घ अनुभव के साथ वरिष्ठ व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए किया गया था, ताकि विश्वविद्यालय को इसके आरंभिक अवस्था में लाभ मिल सके ।

विश्वविद्यालय अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति में गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, क्योंकि राज्य में

विद्यमान भौगोलिक प्रतिकूलताएं हैं । वास्तव में प्रोफेसरों के 29 स्वीकृति पदों में से 27 उचित प्रतिउत्तर के अभाव में खाली रह गई । वरिष्ठ शिक्षकों को अपने वर्तमान संस्थान से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सिक्किम विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रस्तावित किया गया था कि सिक्किम विश्वविद्यालय में उनकी पुनर्नियुक्ति के उनके वेतन को नियमित किए जाते समय पेंशन एवं पेंशन के समतुल्य ग्रेच्युटी की अवगणना का लाभ उन्हें विस्तारित किया जाएगा ।

कार्यवृत्त

सदस्यों ने प्रस्ताव पर डीओपीटी के पेंशन धारियों की पुनर्नियुक्ति पर वेतन निर्धारण के वर्तमान आदेशों के सामंजस्य में विचार विमर्श किया गया । उन्होंने विश्वविद्यालय को इस विषय पर भारत के उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय पर संदर्भ लेने की सलाह दी तथा यूजीसी द्वारा आगे विचारार्थ एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा ।

एफ सी: 9:10	नए वाहनों का क्रय

विषयसूची

सिक्किम विश्वविद्यालय के पास अपना कोई कैंपस नहीं है तथा यह 18 विभिन्न अवस्थाओं पर कार्यरत है। अतः इसका आंतरिक परिवहन व्यवस्था तंग स्थिति में है । विश्वविद्यालय के पास सिर्फ एक वाहन है तथा तीन अन्य वाहनों को किराए पर लिया गया है । किराए गाड़ी की विश्वसनीयता गंभीर अनिवार्यता के समय हमेशा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है । तथापि वर्तमान अवस्था से 56 किलोमीटर दूर यांग्यांग्ग स्थित कैंपस भवन की संभाव्यता के कारण बारंबार यात्रा आवश्यक होगी, जिसके लिए पहाड़ी के अनुरूप मजबूत गाड़ी आवश्यक है । विश्वविद्यालय के पास एकमात्र गाड़ी 5 वर्ष पुरानी है और अब तक 1.20 लाख किलोमीटर चल चुकी है । उपकुलपति एवं अन्य कार्यकारियों को शीघ्र एवं आसान यात्रा सुविधा संपन्न करने के लिए यह प्रस्तावित है कि नए वाहनों की तत्काल खरीद की जाए, जो कि किराए गाड़ी की तुलना में 10 वर्षों की लागत हितकारी गणना के अनुसार अत्यंत ही लागत प्रभाक्कारी पाई गई है । इसके अतिरिक्त इससे विश्वविद्यालय की संपत्ति निर्माण में भी मदद मिलेगी । वर्तमान में उपकुलपति द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा वाहन का एक पुल वाहन के रूप में विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासनिक उद्देश्यों के रूप में प्रयोग किया जाएगा॥

कार्यवृत्त

सदस्यों ने स्थानीय साथ ही उन्हें किराए पर लेने का लागत दबाव की दृष्टि से वाहन खरीद के औचित्य पर विचार किया । यद्यपि, यह देखा गया की लागत हितकारी विश्लेषणों की सुझाए गए तरीके से पुनर्गणना की आवश्यकता है । वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यालयी उद्देश्यों से नए वाहनों की खरीद पर लगाए गए प्रतिबंध की दृष्टि से विश्वविद्यालय को एक समग्र प्रस्ताव एम एच आर डी को तत्काल अग्रेषित करने की सलाह दी गई, ताकि वित्त मंत्रालय से इस पर छूट प्राप्त करने के लिए विचार किया जा सके ।

एफ सी: 9:11	प्रो. टी बी सुब्बा की उप कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय के रूप में बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल

विषयसूची

प्रो. टी बी सुब्बा ने दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को उप कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । वह नेहू, शिलांग से 5 वर्षों के लिए लिएन पर है। उपकुलपति के रूप में उनकी सेवाओं की गणना बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के रूप में होगी । उनकी सेवाओं का कार्यकाल उधारकर्ता विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत वैटिंग के बाद सदस्यों के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया था ।

कार्यवृत्त

सदस्यों ने कहा कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा (5) के सांविधि 2 में निहित प्रावधानों के अनुसार वित्त समिति का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है । विश्वविद्यालय को उनके पक्ष में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी द्वारा परिचालित मॉडल अध्यादेश देखने की सलाह दी गई ।

विचार विमर्श हेतु अन्य कोई विषय नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त घोषित हुई।

ह0/-
सदस्य सचिव, वित्त समिति

ह0/-
अध्यक्ष, वित्त समिति